मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 09—01—2024 को सम्पन्न राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः—

1. श्री सुखबीर सिंह संधु, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री आनन्द बर्द्धन, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री अभिनव कुमार, पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
5. श्री अरविन्द सिंह ह्याँकी, सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री रविनाथ रमन, सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
7. श्री एच0सी0 सेमवाल, आयुक्त/सचिव, आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. श्री मुख्तार मोहसिन, पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक, यातायात, उत्तराखण्ड।
9. श्री विनय शंकर पाण्डेय, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
10. श्री योगेन्द्र सिंह रावत, पुलिस उप महानिरीक्षक, कुमाऊँ मण्डल।
11. डॉ0 आनन्द श्रीवास्तव, अपर सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड।
12. सुश्री कहकशां नसीम, अपर सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
13. श्री एन0 के0 जोशी, अपर सचिव, परिवहन विभाग।
14. श्री डी0 के0 यादव, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग।
15. श्री सनत कुमार सिंह, संयुक्त परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
16. श्री पी0एस0 गर्ब्याल, अपर आयुक्त, आबकारी विभाग।
17. श्री राजीव कुमार मेहरा, उप परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
18. डॉ0 अनीता चमोला, सहायक परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
19. श्री कमलेश कुमार झा, अधीक्षण अभियन्ता, सिविल, प्राजेक्ट शिवालिक, बीआरओ।
20. श्री विशाल गुप्ता, सीजीएम(टी)/क्षेत्रीय अधिकारी, एन0एच0ए0आई।
21. श्री दिनेश पुनेठा, अनु सचिव, लोक निर्माण विभाग।
22. डॉ0 सुनीता चौफाल, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड।
23. डॉ0 राकेश शर्मा, संयुक्त निदेशक एवं सदस्य लीड एजेन्सी।
24. श्री एल0 एन0 मिश्रा, सहायक निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
25. श्री अमृता जायसवाल, सहायक निदेशक एवं सदस्य लीड एजेन्सी।
26. श्री संजय सिंह बिष्ट, सहायक निदेशक एवं सदस्य लीड एजेन्सी।
27. श्री अविनाश चौधरी, सहायक निदेशक एवं सदस्य लीड एजेन्सी।

वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से—

1. श्री दीपक रावत, आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल।

बैठक में सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी एवं उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया गया। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का परिचय प्राप्त करते हुए मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा बैठक का औपचारिक शुभारम्भ किया गया। सचिव, परिवहन द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सेवानिवृत्त मा0 न्यायाधीश की

Generated from eOffice by NEETA BHANDARI, TCO-AO-NEETA, ADMINISTRATIVE OFFICER, TRANSPORT COMMISSIONER on 20/07/2024 04:14 pm

अध्यक्षता में गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों एवं उनके अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही का संक्षिप्त परिचय दिया गया। मा0 मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि राज्य में सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद, अनुश्रवण समिति, लीड एजेन्सी एवं जिला सड़क सुरक्षा समितियों का गठन किया गया है। राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की वर्ष में 02 बैठकें निर्धारित की गयी हैं, जिसके क्रम में आज वर्ष 2024 की प्रथम बैठक आहूत की जा रही है।

2. श्री सनत कुमार सिंह, संयुक्त परिवहन आयुक्त/अध्यक्ष, लीड एजेन्सी द्वारा विगत 05 वर्षों में देश एवं राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं का वर्षवार, जनपदवार, वाहन की श्रेणीवार, मार्ग के क्षेत्रवार विवरण प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक दिनांक 10–03–2023 में दिये गये निर्देशों पर कृत कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत किया गया। मा0 मुख्यमंत्री जी के समक्ष किये गये प्रस्तुतीकरण का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैः–

(1) वर्ष 2022 में राज्य में 1674 दुर्घटनाएं घटित हुई जिनमें 1042 व्यक्तियों की मृत्यु हुई एवं 1613 व्यक्ति घायल हुए। इसी प्रकार वर्ष 2023 में माह नवम्बर तक कुल 1520 वाहन दुर्घटनाओं में 946 व्यक्तियों की मृत्यु हुई एवं 1369 व्यक्ति घायल हुए हैं।

(2) जनपदवार विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि वर्ष 2023 में माह नवम्बर तक देहरादून, उधमसिंह नगर, हरिद्वार एवं नैनीताल में सर्वाधिक दुर्घटनाएं घटित हुई हैं। पर्वतीय जनपदों में सर्वाधिक दुर्घटनाएं टिहरी जनपद में हुई हैं, इसके उपरान्त पौड़ी, चम्पावत, उत्तरकाशी, चमोली एवं पिथौरागढ़ सर्वाधिक दुर्घटना वाले पर्वतीय जनपद रहे हैं।

(3) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के आधार पर वर्ष 2023 में माह नवम्बर तक घटित कुल 1520 दुर्घटनाओं में से 804 दुर्घटनाएं ग्रामीण क्षेत्र में एवं 716 दुर्घटनाएं शहरी क्षेत्र में घटित हुई हैं, जबकि मृतकों की संख्या के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 600 व्यक्तियों एवं शहरी क्षेत्र में 346 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।

(4) वाहन के श्रेणीवार प्रस्तुत विवरण के अनुसार वर्ष 2023 में माह नवम्बर तक सर्वाधिक दुर्घटनाएं कारों से (409) घटित हुई हैं, जबकि इसके उपरान्त दुपहिया वाहनों से 313 तथा मध्यम/भारी भार वाहनों से 297 दुर्घटनाएं घटित हुई।

(5) दुर्घटना के कारणों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि वर्ष 2023 में माह नवम्बर, 2023 तक घटित कुल 1520 दुर्घटनाओं में से 1175 दुर्घटनाएं तीव्र गति अथवा लापरवाही से वाहन चलाने के कारण घटित हुई हैं।

Generated from eOffice by NEETA BHANDARI, TCO-AO-NEETA, ADMINISTRATIVE OFFICER, TRANSPORT COMMISSIONER on 20/07/2024 04:14 pm

(6) लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार विभिन्न संस्थाओं द्वारा राज्य में क्रैश बैरियर/पैरापिट्स हेतु चिन्हित मार्ग कुल 7688.16 किमी0 के सापेक्ष 3666.77 किमी0 सड़कों पर क्रैश बैरियर/पैरापिट्स लगाये जा चुके हैं जबकि 4021.39 किमी0 पर क्रैश बैरियर/पैरापिट्स लगाये जाने अवशेष हैं, जिसमें सर्वाधिक 3720.04 किमी0 मार्ग लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत है।

(7) लोअर हायरार्की ओर से अपर हायरार्की वाली सड़कों पर स्पीड कामिंग उपायों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि कुल चिन्हित 4220 जंक्शन्स में से 1637 में ट्रैफिक कामिंग उपाय पूर्ण कर लिये गये है। इसी प्रकार पैदल यात्रियों हेतु पैदलपाथ/फुटओवर ब्रिज/सर्विस लेन निर्मित किये जाने हेतु चिन्हित 460.70 किमी0 के सापेक्ष अभी तक 298. 47 किमी0 पर पैदलपाथ आदि का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

(8) राज्य में चिन्हित कुल 165 ब्लैक स्पॉट में से 129 पर दीर्घकालीन सुधार कर लिये गये हैं एवं अवशेष 36 स्थलों में से 14 स्थलों पर कार्यवाही गतिमान है तथा 10 स्थलों की डीपीआर स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित की गई है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि राज्य में 40 ब्लैक स्पॉट (21 हरिद्वार, 8 उधमसिंह नगर, 9 नैनीताल, 1 उत्तरकाशी एवं 1 देहरादून) ऐसे है जहॉ सुधारीकरण के पश्चात् लगातार दुर्घटनाएं घटित हुई है।

(9) इसी प्रकार विभिन्न जनपदों में चिन्हित 2642 दुर्घटना सम्भावित स्थलों में से 1821 का सुधार किया गया है, अवशेष 821 पर कार्यवाही गतिमान है।

(10) राष्ट्रीय राजमार्गों पर 78 स्थानों पर प्रस्तावित ट्रक ले–बाई में से 74 पर एवं 40 स्थानों पर प्रस्तावित व्यू प्वाईन्ट्स में से 16 पर निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, जबकि 176 स्थानों पर प्रस्तावित बस ले–बाई/बस शेल्टर्स में से 147 पर एवं 10 स्थानों पर प्रस्तावित ड्राईवर रेस्ट एरिया में से 07 स्थानों पर निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

(11) परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा प्रवर्तन कार्य में ऑटोमेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा प्रथम चरण में 10 स्थानों पर ए0एन0पी0आर0 कैमरों की स्थापना की गई है। द्वितीय चरण में 7 नए स्थानों पर ए0एन0पी0आर0 की स्थापना एवं 4 पूर्व स्थलों का उच्चीकरण करने की कार्यवाही गतिमान है। तथा तृतीय चरण में 20 नए स्थलों पर कैमरों की स्थापना प्रस्तावित है। इसी प्रकार पुलिस विभाग/स्मार्ट सिटी द्वारा 34 जंक्शनों पर 105 रेड लाईट वॉयलेशन डिटेक्शन कैमरें, 11 स्पीड वॉयलेशन डिटेक्शन कैमरे एवं 597 सी0सी0टी0वी0 लगाये गये है। वाहनों पर दृष्टि रखने के उद्देश्य से

Generated from eOffice by NEETA BHANDARI, TCO-AO-NEETA, ADMINISTRATIVE OFFICER, TRANSPORT COMMISSIONER on 20/07/2024 04:14 pm

अभी तक 66811 वाहनों में वी0एल0टी0 डिवाईस स्थापित किये जा चुके है।

(12) प्रवर्तन दलों के सुदृढ़ीकरण हेतु परिवहन विभाग द्वारा 13 इन्टसेप्टर, 40 एल्कोमीटर, 31 स्पीड रडार गन क्रय किये गये हैं। इसी प्रकार पुलिस विभाग द्वारा 17 इन्टरसेप्टर, 325 एल्कोमीटर एवं 57 स्पीड रडार गन क्रय किये गये हैं, जिससे निरन्तर प्रवर्तन की कार्यवाही की जा रही है।

(13) प्रवर्तन कार्यवाही के अन्तर्गत परिवहन एवं पुलिस विभाग द्वारा वर्ष 2023–24 में माह नवम्बर तक 677422 वाहनों के चालान कर ₹ 50.54 करोड़ की धनराशि प्रशमन शुल्क के रूप में वसूले गये हैं, जबकि गत वर्ष इसी अवधि में कुल 510726 वाहनों का चालान कर ₹ 41.20 प्रशमन शुल्क वसूला गया था। चालक लाईसेन्स के विरूद्ध प्राप्त 59003 संस्तुतियों के सापेक्ष 340472 लाईसेन्सों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है।

(14) आटोमेटिड टेस्ट ट्रैक के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि प्रत्येक सम्भागीय/उपसम्भागीय परिवहन कार्यालयों में चालकों की आटोमेटेड परीक्षा हेतु टेस्ट ट्रैक का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश एवं कोटद्वार में टेस्ट टैक का निर्माण पूर्ण हो गया है, जबकि काशीपुर, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, रूड़की, हल्द्वानी एवं रामनगर में निर्माण कार्य गतिमान है। इसके अतिरिक्त 13 अन्य स्थानों हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है।

(15) वाहनों की फिटनेस जांच आटोमेटिड रूप से किये जाने के दृष्टिगत देहरादून, रूद्रपुर एवं हल्द्वानी में निजी क्षेत्र में 03 टेस्टिंग लेन की स्थापना की जा चुकी है। हरिद्वार, विकासनगर, रूड़की एवं टनकपुर में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत प्रारम्भिक लाईसेन्स निर्गत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त ऋषिकेश एवं कोटद्वार में उक्त लेन की स्थापना भारत सरकार के सहयोग से की जा रही है, जबकि पिथौरागढ़ एवं उत्तरकाशी में राज्य बजट से निर्माणाधीन है।

(16) लोक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं को सड़क सुरक्षा आडिट के सम्बन्ध में निरन्तर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। विभाग में कार्यरत 1274 अभियन्ताओं में से अभी तक 812 को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023 में परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को विभिन्न संस्थाओं यथा–आई0आर0टी0ई0, फरीदाबाद, सी0आई0आर0टी0 पूणे आदि के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कराया गया है।

(17) गत बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में परिवहन विभाग, पुलिस विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा सामान्य जन–मानस एवं स्कूली बच्चों को

Generated from eOffice by NEETA BHANDARI, TCO-AO-NEETA, ADMINISTRATIVE OFFICER, TRANSPORT COMMISSIONER on 20/07/2024 04:14 pm

सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किये जाने के उद्देश्य से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम, सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित फिल्मों का निर्माण, स्कूलों में समय–समय पर चित्रकला, क्विज, कार्यशाला, इन्स्टग्राम, फेसबुक, विभागीय वैबसाईट, स्थानीय केबल नेटवर्क के माध्यम प्रचार–प्रसार किया गया।

(18) बच्चों को यातायात के प्रति जागरूक करने के लिए प्रदेश के सभी जनपदों में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क बनाये जाने प्रस्तावित हैं। उक्त पार्कों की स्थापना ऐसे स्थानों पर की जा रही है जहाँ पूर्व से बच्चों का आवागमन हो अथवा छोटे बच्चे भी आसानी से पहुँच सके। वर्तमान में देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क बनाये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

(19) घायल व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नागरिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य में गुड समेरिटन योजना प्रारम्भ की गई है, उक्त योजना के अन्तर्गत अभी तक 19 नेक नागरिकों को ₹ 2.50 लाख की धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदन की गई है।

3. बैठक में विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त मा0 मुख्यमंत्री जी के द्वारा निम्नवत् निर्देश दिये गये:–

(1) सड़क दुर्घटनाओं के आकड़ों का माहवार, राजमार्गवार (एन0एच0, एस0एच0, अन्य आधार) पर डाटा रखा जाय।

(कार्यवाही– परिवहन/पुलिस विभाग)

(2) लोक निर्माण विभाग को क्रैश बैरियर लगाये जाने हेतु आवंटित धनराशि ₹ 300.00 करोड़ की धनराशि का चारधाम यात्रा से पूर्व प्राथमिकता के आधार पर सदुपयोग कर प्रस्तावित कार्य पूर्ण कर लिये जाए एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु अवशेष कार्यो हेतु ₹ 400.00 करोड़ का बजट प्राविधान कराते हुए एतद्विषयक प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति को निर्देशित किया जाय।

(कार्यवाही– लोक निर्माण विभाग)

(3) क्रैश बैरियर की स्थापना हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना का पुनरीक्षण कर समस्त कार्य 02 वर्षों में सीमित किया जाय।

(कार्यवाही– लोक निर्माण विभाग)

(4) स्थापित किये गये क्रैश बैरियर्स का स्थलीय निरीक्षण जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा कराकर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उनका इन्सटालेशन मानकों के अनुरूप किया गया है।

(कार्यवाही–समस्त जिलाधिकारी/परिवहन/पुलिस विभाग)

(5) ब्लैक स्पॉट सुधार हेतु तृतीय पक्ष से रोड सेफ्टी ऑडिट कराया जाए। लीड एजेन्सी इस कार्य के लिए किसी विशेषज्ञ संस्था से अनुबन्ध कर

Generated from eOffice by NEETA BHANDARI, TCO-AO-NEETA, ADMINISTRATIVE OFFICER, TRANSPORT COMMISSIONER on 20/07/2024 04:14 pm

ले। ब्लैक स्पॉट सुधार हेतु भारत सरकार को प्रेषित 10 डी0पी0आर0 का फॉलोअप कर उनकी स्वीकृति प्राप्त की जाय।

(कार्यवाही–लीड एजेन्सी / सम्बन्धित कार्यदायी संस्था)

(6) दुर्घटना सम्भावित स्थलों के चिन्हीकरण हेतु मानक निर्धारित कर लिए जाय।

(कार्यवाही– लीड एजेन्सी परिवहन विभाग)

(7) यात्रा पड़ावों पर चालकों हेतु स्थाई विश्राम गृह (डारमेट्री) तथा सस्ते भोजनालय की व्यवस्था की जाए।

(कार्यवाही– परिवहन विभाग / सम्बन्धित जिलाधिकारी)

(8) बी0आर0ओ0 के अधीन सड़कों पर जिन स्थानों पर क्रैश बैरियर स्थापित किये जाने हैं, उन स्थानों का संयुक्त निरीक्षण सम्बन्धित जिलाधिकारी, यातायात पुलिस एवं बी0आर0ओ0 द्वारा चारधाम यात्रा से पूर्व कर लिया जाय।

(कार्यवाही–सम्बन्धित जिलाधिकारी / पुलिस / बी0आर0ओ0)

(9) मार्गों पर यू शेप नाली अथवा निर्माण के KC drain डिजाईन हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही–लोक निर्माण विभाग)

(10) ए0एन0पी0आर0 कैमरों को चरणबद्ध रूप से प्रत्येक चिन्हित स्थल पर लगा कर राज्य को आवश्यकतानुसार आच्छादित कर लिया जाए।

(कार्यवाही–परिवहन विभाग)

(11) कतिपय जनपदों में राजमार्गो के सम्बन्ध में अतार्किक रूप से बहुत कम गति सीमा का निर्धारण किया गया है। इसका पुनरीक्षण किया जाय। इस हेतु ट्रैफिक एक्सपर्ट से अध्ययन कराकर गति सीमा का निर्धारण किया जाय।

(कार्यवाही–परिवहन / पुलिस विभाग)

(12) गन्ना पेराई के समय ट्रैक्टर और ट्राली पर विशेष दिया जाय। इस अवधि में इन क्षेत्रों पर गति सीमा कम की जाय एवं उक्त वाहनों में रिफ्लेक्टर टेप इत्यादि अवश्य लगाये जाय।

(कार्यवाही–परिवहन विभाग)

(13) शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए एवं आवश्यकतानुसार एल्कोमीटर का क्रय किया जाय।

(कार्यवाही–परिवहन / पुलिस विभाग)

(14) लाईसेन्स के विरूद्ध निलम्बन / निरस्तीकरण की कार्यवाही में वृद्धि की जाय।

(कार्यवाही–परिवहन विभाग)

(15) परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा ऑनलाइन माध्यम से चिन्हित किये गये उल्लंघनों को परिवहन विभाग के ए0एन0पी0आर0 कैमरा प्रणाली के डाटाबेस तथा ई–चालान से इन्टीग्रेट किया जाय तथा ऑटोमेटेड चालान सुनिश्चित किए जाय।

(कार्यवाही–परिवहन / पुलिस विभाग)

Generated from eOffice by NEETA BHANDARI, TCO-AO-NEETA, ADMINISTRATIVE OFFICER, TRANSPORT COMMISSIONER on 20/07/2024 04:14 pm

(16) बिना लाईसेन्स एवं शराब पीकर वाहन चलाने वाले अभियोगों में राज्य मोटरयान अधिनियम में संशोधन कर अर्थदण्ड की धनराशि को बढ़ाया जाय।

(कार्यवाही–परिवहन विभाग)

(17) किशोरो द्वारा बिना लाईसेंस वाहन चालन की दशा में उनके अभिभावकों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाय।

(कार्यवाही–परिवहन/पुलिस विभाग)

(18) आम जनमानस को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु डिजीटल माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जाय।

(कार्यवाही–परिवहन/पुलिस/शिक्षा/चिकित्सा/सूचना विभाग)

(19) स्कूली छात्र–छात्राओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से 10–15 मिनट की फिल्म तैयार की जाए और विद्यालयों में प्रदर्शित की जाय। साथ ही सड़क सुरक्षा के विषय को हाईस्कूल कक्षा के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित किया जाय

(कार्यवाही–परिवहन विभाग/विद्याालयी शिक्षा)

(20) गुड समेरिटन योजना को सही रूप से प्रोत्साहित करने हेतु पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाय।

(कार्यवाही– पुलिस विभाग)

(21) जिला प्रशासन, पुलिस, विकास प्राधिकरण एवं नगर निकायों के द्वारा संयुक्त रूप से अतिक्रमण के विरूद्ध अभियान चलाया जाय तथा अतिक्रमण करने वालों की वीडियो रिकार्डिंग की जाय।

(कार्यवाही– जिलाधिकारी देहरादून/पुलिस विभाग/एम0डी0डी0ए0)

(22) विभिन्न थाना, चौकियों में बन्द वाहनों को प्रत्येक जनपद में शहर के नजदीक स्थान चिन्हित करते हुए एक साथ रखा जाय।

(कार्यवाही–परिवहन/पुलिस विभाग)

(23) सभी विभागों के प्रमुखों द्वारा अपने विभाग के अधीन सड़क सुरक्षा कार्यों की समय–समय पर निगरानी की जाए एवं सम्बन्धित कार्यों के लिए बजट की मांग ससमय की जाए।

(कार्यवाही– समस्त सम्बन्धित विभागाध्यक्ष)

अन्त में, बैठक मा0 मुख्यमंत्री जी एवं समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या– /ix–1/2024/23/ix–1/2014
देहरादून, दिनांक जनवरी, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

Generated from eOffice by NEETA BHANDARI, TCO-AO-NEETA, ADMINISTRATIVE OFFICER, TRANSPORT COMMISSIONER on 20/07/2024 04:14 pm

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग/वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
9. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, कुल्हान सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून।
10. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
11. पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल जोन, उत्तराखण्ड।
12. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. महानिदेशक, शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
14. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, देहरादून।
15. निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
16. रीजनल ऑफिसर, एनएचएआई, उत्तराखण्ड रीजन।
17. कमाण्डेन्ट सीमा सड़क संगठन, प्रोजेक्ट शिवालिक, आईडीपीएल, वीरभद्र ऋषिकेश।
18. कमाण्डेन्ट, सीमा सड़क संगठन, प्रोजेक्ट हीरक रई, पिथौरागढ़।
19. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला सड़क सुरक्षा समिति, उत्तराखण्ड।
20. गार्ड फाईल।

(**अरविन्द सिंह हयाँकी**)
सचिव।

Generated from eOffice by NEETA BHANDARI, TCO-AO-NEETA, ADMINISTRATIVE OFFICER, TRANSPORT COMMISSIONER on 20/07/2024 04:14 pm